BIHAR COURT FEE
₹5
BRECR064C240200113898
20 Feb 2024

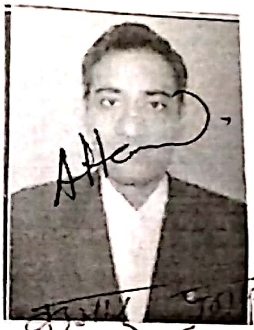

अन्तर्गत न्यायालय,

श्रीमान् मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी,

समस्तीपुर।

अभियोग पत्र संख्या– 401 /2024

कुमार प्रभाकर, उम्र 40 वर्ष, पिता श्री विनय कुमार वर्मा, निवासी शिवदानी सदन, बंगाली टोला, वार्ड संख्या 22, थाना नगर, पो0+जिला समस्तीपुर, मो0 नं0– 9835832189

.... अभियोगी

बनाम

1. सुजय कुमार गुड्डु, उम्र 38 वर्ष लगभग, पिता विजय कुमार अकेला, निवासी मुलचंद रोड, वार्ड संख्या 23, थाना नगर, पो0 वो जिला समस्तीपुर (वर्तमान वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 22)
2. अज्ञात 30–35 अपराधिक प्रवृति के लोग।

.... अभियुक्तगण

घटना स्थल– प्रार्थी अभियोगी का घर शिवदानी सदन, बंगाली टोला, वार्ड संख्या 22, थाना नगर, पो0+जिला समस्तीपुर।

घटना तिथि वो समय– दिनांक 01.03.2024 समय करीब 11 बजे दोपहर।

इलजाम दफा– 147, 148, 323, 379, 380, 384, 386, 427, 448,

447, 452, 395, 499, 500, 504, 506/34, 120 बी भा0 द0 वि0

नाम गवाहन–

1. मणिमाला श्रीवास्तव, पति कुमार प्रभाकर

निवासी शिवदानी सदन, बंगाली टोला, वार्ड संख्या 22, थाना नगर, जिला समस्तीपुर।

2. फुल कुमार, पे0 परमेश्वर पासवान

निवासी ग्राम महाबलीपुर, थाना कल्याणपुर, जिला समस्तीपुर।

3. शाहनवाज अनवर, पे0 मो0 अनवर अली

निवासी ग्राम धर्मपुर, थाना नगर, जिला समस्तीपुर।

इसके अलावे और भी गवाहन है जो घटना को देखे है व घटना के बारे में जानते है।

स्पष्ट अभियोग यह है कि प्रार्थी अभियोगी अपने जमीन में बने अपने पुराने घर की मरम्मत व निर्माण कार्य शुरू किये हुए थे कि दिनांक 01.03.2024 को सुबह जैसे ही कार्य करने के लिए मिस्त्री व मजदुरगण आये और काम करना शुरू किये कि तभी 11 बजे दिन मे अभियुक्त संख्या 01 सुजय कुमार गुड्डु जो उस क्षेत्र के दबंग प्रवृति वाले है तथा वार्ड पार्षद भी है अपनी दबंगता दिखाते हुए अपने 30–35 असमाजिक व अपराधिक प्रवृति के सहयोगियों जिनके हाथों में लाठी, डंडा, रॉड हथौड़ा इत्यादि था

Sandarshi Rajesh ADV 5/3/24

लेकर अभियोगी के दरवाजे पर आ गये और हल्ला हंगामा करने लगे। उस समय अभियोगी सिविल कोर्ट, समस्तीपुर में वकालत कार्य करने हेतू जाने को अधिवक्ता के रूप में तैयार हो रहे थे कि सभी अभियुक्तगण एक राय कर अभियोगी के घर के गेट को पीटने लगे और अभियोगी के मना करने पर अभियुक्त सुजय कुमार गुड्डु ने कहा कि गेट तोड़ दो और इसको मारो इतना सुनते ही सभी अभियुक्तगण मिलकर गाली गलौज करते हुए अभियोगी के घर का गेट तोड़कर घुस गये और सारा सामान तोड़ फोड़ करने लगे। इसके बाद अभियुक्त सुजय कुमार गुड्डु अपने आदमियों के साथ अभियोगी के घर के सिढी के रास्ते से छत पर जाकर ढलाई किया हुआ सीढी तोड़ दिया। अभियोगी व उनकी पत्नी द्वारा विरोध किए जाने पर सरेआम भद्दी भद्दी गाली गलौज कर अभियोगी व उनकी पत्नी का मानहानि किए व अभियुक्त सुजय कुमार गुड्डु धमकी दिया कि बिना रंगदारी नजराना दिए कोई काम नही होने देंगे तथा 50000/— रूपया रंगदारी देने की धमकी दी और अपने आदमियों से वहां रखा सामान सीमेंट की 8–10 बोरियों, 2 कुदाल, 2 बेलचा वगैरह लगभग 15–20 हजार का सामान उठवा लिये तथा लाखों रूपया के सामान को तोड़ फोड़ व क्षतिग्रस्त कर बर्बाद कर दिये और कहा कि केस मुकदमा

Sandarshi Rajesh
Adv
5/3/24

करोगे तो जान से मरवा देंगे और झूठे केस मुकदमा में फंसा देने की धमकी देते हुए चले गए घटना के बाद अभियोगी उसी समय घटना की तस्वीरों और विडियो के साथ नगर थाना, समस्तीपुर में जाकर घटना के बारे में लिखित आवेदन दिया परंतु अभियुक्तों के प्रभाव के कारण कोई कार्यवाही नही हुई तो पुलिस अधीक्षक महोदय समस्तीपुर को व्यक्तिगत रूप से मिलकर व निबंधित डाक के माध्यम से भी आवेदन भेजा गया परंतु आज तक कोई कार्यवाही नही हुई तो मजबुरन श्रीमान् के समक्ष यह अभियोग पत्र दाखिल किया गया है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अभियुक्तों ने घोर अपराध किया है अतएव अपराध का संज्ञान लेकर उन्हे आवाहन भेजकर दंडित करने की कृपा की जाय।

इसके लिए प्रार्थी अभियोगी श्रीमान् का सदा आभारी रहेगा।

प्रार्थी अभियोगी

कुमार प्रभाकर

संलग्नक–

घटित घटना की तस्वीरें

एवं पेन ड्राईव में घटित

घटना की विडियो

Identify the Signature of Kumar Prabhakar

Sandarshi Kishor
Adv
5/3/24
En. - 745/97
Mob - 9709378783

Scanned with OKEN Scanner